<u>भारत सरकार</u> परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 661

जिसका उत्तर दिनांक 16.09.2020 को दिया जाना है

न्युक्लीयर स्पंट फ्यूल हेतु पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी

661. श्री एस. वेंकटेशन:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि देश में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर (पीडब्ल्यूआर)/लाइट वाटर रिएक्टर (एलडब्ल्यूआर) रिएक्टरों से स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल (एसएनएफ) के पुनर्चक्रण की सुविधा नहीं है और अभी कुंडाकुलम से एसएनएफ को 'अवे फ्रॉम रिएक्टर' (एएफआर) में रखा जाएगा;
- (ख) कुंडाकुलम में यूनिट 1 और 2 के लिए एएफआर निर्माण की क्या स्थिति है और क्या सरकार पीडब्ल्यूआर/एलडब्ल्यूआर रिएक्टरों से एसएनएफ पुन: प्रसंस्करण हेतु पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी ला रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने एसएनएफ भंडारण हेतु भारत में स्थायी रूप से भारत के डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी (डीजीआर) स्थापित करने के लिए स्थानों का चयन कर लिया है यदि हां, तो डीजीआर स्थापित करने के लिए किन स्थानों पर विचार किया जा रहा है।

<u> उत्तर</u>

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

- (क) कुडनकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से प्राप्त भुक्तशेष (प्रयुक्त) नाभिकीय ईंधन का भंडारण प्रारम्भ में रिएक्टर बिल्डिंग के अंदर ही भुक्तशेष ईंधन भंडारण पूल में और उसके बाद में स्थल विशेष पर स्थापित की जाने वाली 'रिएक्टर से दूर (एएफआर)' सुविधा में किया जाएगा जब तक कि इसे पुनर्ससाधन के लिए नहीं ले जाया जाता ।
- (ख) वर्तमान में कुडनकुलम में एएफआर स्थापित करने के लिए विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रकिया प्रगति पर है ।
- (ग) भारत संवृत ईंधन चक्र पर काम कर रहा है, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में रेडियोसक्रिय अपशिष्ट उत्पन्न होता है । आगे, देश में ही अपशिष्ट के पृथक्करण, विभाजन तथा दहन प्रौद्योगिकियों को विकसित किया जा रहा है, जिससे इसमें रेडियोसक्रिय अपशिष्ट की मात्रा और भी कम हो जाएगी । रेडियोसक्रिय अपशिष्ट की कम मात्रा को ध्यान में रखते हुए, निकट भविष्य में गहरे भूगर्भीय भंडार बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

* * * * *